

डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर



क्र. शोधोपाधि/Yog/103

विश्वविद्यालय कार्यालय
सागर, दिनांक-26.02.2010

// अधिसूचना //

सूचित किया जाता है कि परीक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत डॉक्टर ऑफ फिलासफी से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 34 के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा 11(3) के अंतर्गत कुलपति जी ने कार्यपरिषद् की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध पर मौखिकी उपरांत उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलासफी की उपाधि प्रदान करने का अनुमोदन किया है।

क्र.	शोधार्थी का नाम एवं पता	विभाग/संकाय पंजीयन क्रमांक व दिनांक	निर्देशक का नाम एवं पता	अनुमोदन तिथि	शोध विषय
130	श्री रविकांत खरे बाघराज वार्ड, तिली सागर (म.प्र.) (Shri Ravi Kant Khare)	योग विज्ञान शिक्षा 16-VI 09-09-2006	Prof. Ganesh Shankar, Head, Dept. of Yogic Science, Dr. H.S.G.V.V. Sagar	23.02.2010	योग एवं आयुर्वेद में स्वास्थ्य का समीक्षात्मक अध्ययन

आदेशानुसार

Nsw
26/2
कुलसचिव

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर

प्रतिलिपि:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली.
2. सचिव, भारत सरकार शिक्षा विभाग, नई दिल्ली.
3. एसोसियेशन ऑफ इंडिया यूनीवर्सिटीज, ए.आई.यू. हाऊस, 16 कोटलामार्ग, नई दिल्ली.
4. सचिव, अर्धविश्वविद्यालयीन संघ साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली.
5. सचिव, म.प्र. शासन शिक्षा विभाग, भोपाल.
6. कुलसचिव, समस्त म.प्र. विश्वविद्यालय.
7. संबंधित शोधार्थी/संबंधित निर्देशक/संबंधित विभागाध्यक्ष/संबंधित अधिष्ठाता.
8. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर.
9. उपकुलसचिव (परीक्षा/विकास)/उपाधि शाखा, डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर.
10. पुस्तकालयाध्यक्ष, जवाहर लाल नेहरू, पुस्तकालय, डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर.
11. संपादक, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, एम.पी. क्रोनिकल-भोपाल, दैनिक राही-सागर, नई दुनिया-इन्दौर, नवभारत-जबलपुर, दैनिक भास्कर-भोपाल, आचरण-सागर, कृपया इस अधिसूचना को अपने समाचार पत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित करने की कृपा करें।
12. प्रभारी- विश्वविद्यालय, वेबसाइट सेल.

Nsw
26/2
सहा.कुलसचिव

अकादमिक गतिविधियाँ
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर